

अनुज्ञापन एफ0एल0-39

संख्या- 185


/दो-805ए(113)/311/इलाहाबाद:दिनांक:अप्रैल 13, 2010

ऐसे उद्योगों में, जिसमें अल्कोहल नष्ट कर दिया जाता है अथवा रसायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य उत्पाद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और उस उत्पाद में अल्कोहल ईथर, स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन इत्यादि के रूप में नहीं होता, प्रयोग के लिए विशिष्टतया विकृत रिप्रट कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स।

मेसर्स शम्भू पेट्रोकेम(प्रा0)लि0, ग्राम:-उमरनरनिया, इण्डस्ट्रियल एरिया,तहसील:- अकबरपुर, जिला :- कानपुर देहात में 20 मीट्रिक टन इथाइल एसीटेट के निर्माण के प्रयोजनार्थ दिनांक 13.04.2010 से 31.03.2015(2010-11 से 2014-15) तक की अवधि के दौरान 0.2 प्रतिशत कोटनलिहाइड से विकृत 36.0(छत्तीस लाख) ब0ली0 वार्षिक विशेष विकृत सुरा जिसे एतद्वारा रिप्रट कहा गया है, अपने कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स उत्तर प्रदेश विकृत रिप्रट तथा विशिष्टतया रिप्रट कब्जे में रखने के लिए लाइसेन्स नियमावली-1976 के उपबन्धों के अधीन रखते हुए स्वीकृत तथा जारी किया जाता है, जिसमें किसी उपबन्ध का उल्लंघन अथवा आबकारी/नारकोटिक्स विधियों के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध लाइसेन्सधारी को किन्ही भी शास्तियों के अतिरिक्त जो उपर्युक्त विधियों के अधीन आरोपित की जाय, उनका लाइसेन्स रद्द किये जाने हेतु योग्य बना देगी।

लाइसेन्स प्राप्त भू-गृहादि का विवरण

- 1-पूरब -- बजरंग पेट्रोकेमिकल्स प्रा0लि0,
- 2-पश्चिम -- एग्रीकल्चर लैण्ड आफ महेन्द्रा,
- 3-उत्तर -- बजरंग पेट्रोकेमिकल्स प्रा0लि0,
- 4-दक्षिण -- खाली भूमि बजरंग पेट्रो केमिकल्स प्रा0लि0 ।


 (सुधीर एम. बोबडे)
 आबकारी आयुक्त, उ0प्र0।

9/c